न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

प्रकरण संख्या 07/2020

डॉ0 राजेन्द्रसिंह भाटी पुत्र श्री फतेहसिंह भाटी मॉ बाला सती लॉ ऐसोसियेट्स, रावत शॉपिंगमॉल,बाल मन्दिर स्कूल के पास, दूगड़ विद्यालय रोड. सरदारशहर, जिला– चूरू राज0 ।

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 11–3–2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना को अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 14–11–2019 प्रेषित/प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र में सूचना जिला रसद अधिकारी टोंक से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक के पत्र कमांक 1391–92 दिनांक 20–11–2019 से सूचना उपलब्ध करवाने हेतु जिला रसद अधिकारी टोंक को प्रेषित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

1 आपके द्वारा टोंक जिले में कितने मोबाईल डिस्पेंसिंग युनिटों को बायो /फ्यूल रिटेल एवं थोक खुदरा बिकी विकय हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है, उनका सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में) तथा उनको किन नियमों के तहत एवं उनको किन–किन शर्तो एवं नियमों की पालना करते हुए उत्पाद विकय करना पड़ेगा, उनका सम्पूर्ण विवरण तथा किन ग्राहकों को उक्त उत्पाद विकय किया जायेगा, उनका सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)।

2 बायो फ्यूल डीजल कहाँ से आयेगा तथा उसका मूल मण्डारण स्थल टोंक में कहां रहेगा तथा किस प्रकार से मोबाईल वेनों में भरा जायेगा तथा इसके लिए सुरक्षा मानदण्डों की पूर्ति व विस्फोटक अनुज्ञप्ति कमांक की किसी प्रकार की दुर्घटना कारित होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जायेगी, उनका सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)।

3 उक्त वाहन से किसी प्रकार की अग्नि से क्षति कारित होने से सुरक्षा हेतु अग्निशमन के लिए किन–किन तथ्यों की पालना या ध्यान रखा जायेगा व प्रेट्रोलियम सुरक्षा संगठन से अनुज्ञप्ति के लिए किन–किन तथ्यों एवं नियमों के तहत प्राप्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

गयी है या नहीं की गयी है तो किन नियमों के तहत, उन नियमों की प्रमाणित प्रतियॉ (दो प्रमाणित प्रतियों में)।

4 बाउचर जो कि डीजल की डिस्पेंसिग युनिटों को लेकर चलते हैं, उनको स्वीकृति कब व किस माध्यम से तथा कितने वाहनों की दी गयी, उनकी सूची तथा इनकी सुरक्षा के लिए आपके द्वारा किन–किन मानदण्डों के लिए तथा किन'–किन शर्तों के तहत पालना की गयी, का सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)। व आपके जिले में कितने वाहनों को प्रदान की गई, उनकी सूची व उनके द्वारा उपभोक्ताओं एवं आमजन को गुणवता के अनुरूप उत्पाद मिले, के लिए निर्धारित नियमों का सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)।

5 अग्निशमन विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने के लिए प्रदान की छूट के लिए बने नियमों एवं प्रावधानों की प्रमाणित प्रतियॉ (दो प्रमाणित प्रतियों में)।

6 उक्त बाउचर किस प्रकार कहॉ से डीजल का विक्रय करने हेतु पुनर्भरण (refill) करते हैं, की प्रमाणित प्रतियॉ (दो प्रमाणित प्रतियों में)।

7 आपके द्वारा इन बाउचर व मोबाईल डिस्पेसिंग यूनिट बायोफ्यूल का निरीक्षण कब–कब किंया गया व किन–किन ग्राहकों को उक्त उत्पाद विक्रय किया गया तथा इनका निरीक्षण प्रतिवेदन आपके द्वारा व जिला रसद अधिकारी महोदय के द्वारा कब–कब किया गया का सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)।

अपीलार्थी को निर्धरित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक से अपील के संबंध मे जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक ने उनके पत्र कमांक 134 दिनाक 4–3–2020 से अवगत करवाया है कि आवेदक को पत्र कमांक 801 दिनाक 18–12–2019 से रजिस्टर्ड डाक से सूचना भिजवादी गई है। आवेदक को दी गई सूचना की प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है, अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

11/3/2020

जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner